फर्द अहकाम

रुडमल बनाम राजस्थान

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 8/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	नि…
	29/1/21	उभय पक्ष [illegible] / अभिभाषक संघ [illegible] रखा / [illegible] साहब [illegible] कार्य [illegible] हैं। [illegible] अनुसार दि. 3/2/21 को पेश हो। (रीडर)	
	3/2/21	वकील प्रार्थी उप॰। तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त है उसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 9/2/21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	
	9/2/21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप॰। प्रकरण में प्रार्थना पत्र 136 LRAct स्वीकार किया जाता है आदेश अलग से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 08/2020

उनवान

1. रूडमल कुम्हार पुत्र श्री मैंदाराम कुम्हार जाति कुम्हार निवासी ढाणी राणावाली ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती रिकार्ड

आदेश दिनांक 9/2/21

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 2226 से 2236, 2238 व 2239 कुल किता 13 रकबा 4.61 है0 भूमि वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है । जिसमें प्रार्थी का 1/18 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी नाम दर्ज है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है। । प्रार्थी का नाम राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में रूडमल पुत्र मेदाराम कुम्हार नाम दर्ज है लेकिन उक्त प्रश्नागत आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में रूडा पुत्र मेंद अंकित है इस कारण सरकारी दस्तावेज में अलग अलग नाम होने से काफी कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में अलग अलग नाम होने से कृषक कल्याण योजनाओं व किसान केडिट कार्ड की ऋण योजनाओ से महरूम रहना पड़ता है। जबकि प्रार्थी रूडमल पुत्र मेंदाराम व रूडा पुत्र मेदा एक ही व्यक्ति है। ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2021/ 334 दिनांक 28.1.2021 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि राजस्व रिकार्ड में रूडा पुत्र मेदा जाति कुम्हार ही चला आ रहा है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि प्रार्थी राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में रूडमल पुत्र मेदाराम कुम्हार नाम दर्ज है , लेकिन राजस्व रिकार्ड में रूडा पुत्र मेदा दर्ज है तथ राजस्व रिकार्ड व सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम अन्तर होने से बैक ऋण, व सरकारी सहायता आदि प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के नाम से भूमि दर्ज होना साबित होता है तथा सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, पहचानपत्र आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का सम्मानीय नाम रूडमल पुत्र मेंदाराम है । राजस्व रिकार्ड में बोलता नाम दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2226 से 2236, 2238 व 2239 कुल किता 13 रकबा 4.61 है0 भूमि वाके ग्राम देवन तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में रूडा पुत्र मेदा जाति कुम्हार के स्थान पर रूड़ा उर्फ रूडमल पुत्र मेंदाराम जाति कुम्हार निवासी देवन के नाम दुरूस्ती करने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 9/2/21 को सुनाया गया ।

9/2/21

(मनमोहन मीना)

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला जयपुर